न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10/2010 नामान्तरकरण अपील

1. रूकमणी पुत्री श्रीया जाति मीणा निवासी रणवा पत्नि सांवतराम मीणा हाल निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. हजारी
2. प्रभू पि. मूल्या जाति मीणा निवासी रणवा तहसील लालसोट जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट नामान्तरकरण सं. 19 दिनांक 04.06.1981 ग्राम रणवा तहसील लालसोट।

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल हाडा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 02।
3. श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01।

–:निर्णय:– दिनांक 21.11.2017

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 12 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा, 23 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 33 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 46 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 48 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 55 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 27 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम रणवा तहसील लालसोट में अपीलान्ट के पिता श्रीया पुत्र हरबक्श कौम मीना 1/2 तथा हजारी , प्रभू पि0 मूल्या 1/2 के नाम से राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण सं0 19 ग्राम रणवा में दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता श्रीया की एक मात्र पुत्री है तथा उत्तराधिकारी है अपीलान्ट की माता सोनी देवी का देहान्त अपीलान्ट के पिता श्रीया से पूर्व हो गया था तथा अपीलान्ट की शादी भी श्रीया ने ही कि थी। श्रीया के अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई संतान नही थी अपीलान्ट के पिता का वर्ष 1981 में देहान्त हो गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने अपीलान्ट के पिता का

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 के हक में गैर कानूनी रूप से बिना कोई मृत्यु प्रमाण पत्र लिये तथा बिना कोई उसके वैध उत्तराधिकारियो की जांच किये ही रेस्पोडेन्ट के हक में खोल दिया। जबकी अपीलान्ट श्रीया की एक मात्र पुत्री है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण सं0 19 रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 के पक्ष में दिनांक 04.06.1981 को तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट द्वारा पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पो0 की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि तथ्य नियम प्रक्रिया व न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक श्रीया के वारिसो की बिना जांच पडताल किये तथा बिना मृत्यु प्रमाण पत्र लिये रेस्पोडेन्ट न. 01 व 02 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार में बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया है जबकी उत्तराधिकारी विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक श्रीया के वैध उत्तराधिकारी अपीलान्ट को बिना सूचना सुनवाई का अवसर दिये एक दिन में ही सम्पूर्ण नामान्तरकरण प्रक्रिया को ताक में रखकर नामान्तरकरण खोलकर गलती की है। जबकी विशेष विवरण में श्रीया ना औलाद मर गया व उसके न कोई स्त्री है की टिप्पणी अंकित करते हुए उसके भाई के बच्चो के नाम नामान्तरकरण खोल दिया जिसे बिना किसी जांच के तहसीलदार द्वारा तस्दीक कर दिया गया। पटवारी द्वारा दिनांक 04.07.81 को नामान्तरकरण खोला जबकी तहसीलदार द्वारा 04.06.81 को तस्दीक करना अंकित है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया अवैधानिक है। हजारी, प्रभू श्रीया के किस प्रकार से वारिसान है वसीयत/ गोदनामा कुछ भी नही है को स्पष्ट किये बिना नामान्तरकरण खोला गया है। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 04.06.81 को ग्राम रणवा तहसील लालसोट को निरस्त फरमाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस् द्वारा निवेदन किया गया कि हल्का पटवारी द्वारा भरा गया नामान्तरकरण हिन्दी तिथी में 04.06.81 को ही भरा गया है न कि 04.07.81 को। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलना भी दिनांक 04.06.81 को ही तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण अपील 35 वर्षो बाद क्यो कि गई है। नामान्तरकरण फिस्कल प्रोसिडिंग है। इससे अधिकार तय नही होते है। इस बाबत दावा क्यो नही किया गया। इतने वर्षो तक चारा जोही क्यो कि गई। अपीलान्ट द्वारा इतने लम्बे समय पश्चात बदनियती से अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार श्रीया पुत्र हरबक्श कौम मीना की मृत्यु एवं उसके वारिसान की जांच कराये बिना ही प्रश्नगत

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से मृतक श्रीया के वारिस होने के सम्बन्ध में कोई सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 04.06.81 ग्राम रणवा तहसील लालसोट जिला दौसा को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार श्रीया पुत्र हरबक्श कौम मीना की मृत्यु एवं उसके विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर, उभयपक्ष को सुना जाकर विधि प्रकिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा